भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 226

22.07.2024 को उत्तर के लिए

असम में वन्य जीवों पर बाढ़ का प्रभाव

226. श्री प्रद्युत बोरदोलोई :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान असम में बाढ़ से प्रभावित वन्य जीवों की संख्या कितनी हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मारे गए और बचाए गए वन्य जीवों का ब्यौरा क्या है;

(ग) बाढ़ के दौरान वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है जिसमें ऊंचे क्षेत्रों का निर्माण और पशुओं के आवागमन के लिए सुरक्षित गलियारों का प्रावधान सम्मिलित है;

(घ) क्या असम में वन्यजीवों की आबादी और पारिस्थितिकी तंत्र पर बार-बार आने वाली बाढ़ के दीर्घकालिक प्रभाव के संबंध में कोई आकलन अथवा अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) उक्त राज्य में बाढ़ प्रबंधन और वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों को बढ़ाने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ किए गए किसी सहयोग का ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) असम की राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, असम राज्य में विगत पांच वर्षों के दौरान बाढ़ से कुल 847 वन्य पशु प्रभावित हुए थे, जिनमें से, 336 पशुओं को सफलतापूर्वक बचा लिया गया था और 511 पशुओं के मृत होने की रिपोर्ट मिली थी।

(ग) असम की राज्य सरकार द्वारा बाढ़ के दौरान वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. सीमांत क्षेत्रों के निवासियों को बाढ़ के दौरान वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के संबंध में शिक्षित करने के लिए उनके साथ जागरूकता अभियान और बैठकें आयोजित की गई हैं। यदि पशु रास्ता भटक कर गांव में आ जाते हैं, तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस संबंध में गांव में लाउडस्पीकर पर घोषणा की जाती है।

2. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गश्त लगाने और बाढ़ से संबंधित कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आसपास के खण्डों से अतिरिक्त वन कर्मचारियों की तैनाती की गई है। वे वाहन से टकराने के कारण होने वाली पशुओं की मृत्यु को रोकने के लिए एशियन राजमार्ग 1 (NH-37) पर वाहनों की गति की भी निगरानी करते हैं।

3. गोलाघाट, नागांव और कार्बी आंगलोंग जिलों में पुलिस विभाग से अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। वे अवैध शिकार-रोधी कार्यों में वन कर्मियों की सहायता करते हैं और बाढ़ के दौरान मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने में मदद करते हैं।

4. नागांव और गोलाघाट जिलों के जिला परिवहन अधिकारी और मोटर वाहन निरीक्षक बोकाखाट से जाखलाबंधा तक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के किनारे से होकर गुजरने वाले एशियन राजमार्ग 1 (NH-37)पर वाहनों की गति को नियंत्रित करते हैं।

5. गैर-सरकारी संगठनों और ग्राम रक्षा दलों के स्वयंसेवक, पशुओं के आवागमन की निगरानी करते हैं और एशियन राजमार्ग 1 (NH-37) पर वाहनों की गति को कम करने में मदद करते हैं।

6. बाढ़ के दौरान जंगली जानवरों के लिए ऊंचे विश्राम स्थल उपलब्ध कराने के लिए तैंतीस नए ऊंचे क्षेत्र और सड़क-सह-ऊंचे क्षेत्र बनाए गए हैं।

7. संवेदनशील क्षेत्रों में बैरिकेडिंग की गई है।

8. बाढ़ के दौरान जंगली जानवरों के सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए रात में एशियन राजमार्ग 1 (NH-37) पर भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई गई है।

9. एशियन राजमार्ग 1 (NH-37) पर वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए बुरापहाड़ से बोकाखाट तक विभिन्न चौकियों पर टाइम कार्ड जारी किए गए हैं।

10. बाढ़ के दौरान उद्यान के अंदर नियमित निगरानी और गश्त के लिए अवैध शिकार-रोधी शिविरों में देशी नावों की व्यवस्था की गई है।

11. प्रत्येक रेंज कार्यालय में मोबाइल, वायरलेस सेट, ट्रैफिक वैंड और फ्लैशलाइट से युक्त एक आपातकालीन प्रतिक्रिया दल मौजूद है। ये दल वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करते हैं और वन्यजीवों को उद्यान के बाहर ऊंचे स्थानों पर जाने में मदद करते हैं।

12. बाढ़ के स्तर की निगरानी के लिए सभी रेंज कार्यालयों और बोकाखाट में प्रभागीय कार्यालय में बाढ़ निगरानी प्रकोष्ठ और नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। जलप्लावन स्तर का आकलन करने के लिए केंद्रीय जल आयोग के सहयोग से धनसिरीमुख और डिफालुमुख में बाढ़ स्तर मापक स्थापित किए गए हैं।

13. जानवरों के आवागमन की निगरानी करने और उसके अनुसार वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए छह स्थानों पर एनिमल सेंसर सिस्टम लगाया गया है।

14. कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों में ड्रोन के ज़रिए पशुओं के आवागमन पर नज़र रखी जाती है।

15. वन्य पशुओं के बचाव कार्यों के दौरान अतिरिक्त सहायता प्रदान करने और उद्यान के अंदर वन कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की तैनात की जाती है।

16. जलमग्न और क्षतिग्रस्त शिविरों के कर्मचारियों को सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाता है और इन्हें उद्यान की परिधि में गश्त के कार्य में लगाया जाता है। प्रवास के दौरान वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके बार-बार आने-जाने वाले संवेदनशील स्थलों पर अस्थायी शिविर स्थापित किए जाते हैं।

(घ) असम राज्य सरकार के अनुसार, ऐसा कोई अध्ययन/मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ङ) बचाव कार्यों में स्थानीय समुदायों, ग्राम रक्षा दलों, पारिस्थितिकी विकास समिति और गैर-सरकारी संगठनों का सक्रिय सहयोग लिया जाता है। ये संगठन बाढ़ के समय वन्यजीवों के प्रबंधन और संरक्षण में मदद करते हैं।

****